

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ. का

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम :- 220 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन परिवर्तन परियोजना
(नवीन बीजी विद्युतीकृत ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर गेवरारोड से पेण्डारोड रेलवे लाईन के मध्य लोकेशन नं. 278-281)
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ.ग.रा.
वि. पारे.क.मर्यादित, कोरबा (छ.ग.)
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग :- लोकेशन नं. 278-281 के मध्य 220 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन स्थानांतरण हेतु
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति :- जिला वनमण्डल परियोजना स्थल
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही मरवाही केसला (पेण्ड्रा)
5. वनभूमि का विस्तृत विवरण :-

वन प्रकार	वनखण्ड	कक्ष	आवेदित क्षेत्र का क्षे.फ. (हे.में)
आरक्षित वन	—	—	—
सीमांकित संरक्षित वन	खरडी	2357	2.128
असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
राजस्व वनक्षेत्र	—	—	—

6. आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति :- साल/साजा/मिश्रित
औसत घनत्व 0.1 से 0.4
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :- कुल वृक्षों की संख्या - 168, विवरण संलग्न है।
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की :- निरंक स्थिति
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों):- नहीं
में मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वनमार्ग
आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र
में भी अंकित करें)

10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecologically Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संरक्षित विवरण प्रतिवेदित करें) :- परियोजना क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ आरक्षित, हाथी कॉरीडोर का हिस्सा नहीं है।
11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार/राज्य :- नहीं
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें। :- नहीं

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक 12.07.02.2023

हस्ताक्षर :

नाम : SATYADEO SHARMA
DIVISIONAL FOREST OFFICER
MARWAH DIVISION, JENDRA ROAD